

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, द्वितीय ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, अघोईवाला, देहरादून। 0135-2975456

Email-ukmadarsaboard@gmail.com, website-www.ukmadarsaboard.org.in



सूचना का
अधिकार

पत्रांक 02 / उ.म.शि.प./सू.का.अ.अधि./श्री नदीम उद्दीन/2025-25
सेवा में,

दिनांक 01 अगस्त, 2025

श्री नदीम उद्दीन, (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता)
पता- कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर,
ऊधमसिंहनगर पिन-244713

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
कृपया उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके सूचना अनुरोध पत्रांक: 1713/सू.अ./2025 दिनांक 21.03.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 3.1 से 3.10 तक अर्थात् कुल 10 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

बिन्दु सं०	बिन्दुवार मांगी गई सूचना	सूचना से सम्बन्धित उत्तर
1.	उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों की जांच से सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में अवैध मदरसों की जांच/मदरसों की संख्या/सूचना से सम्बन्धित कोई भी अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सूचना धारित नहीं है।
2.	उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों को सील किये जाने से सम्बन्धित नियम प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सूचना धारित नहीं है।
3.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को खुलवाये जाने से सम्बन्धित नियम, प्रावधानों का पूर्ण विवरण, सम्बन्धित नियम, प्रावधानों तथा शासनादेशों, नोटिफिकेशनों की सत्यापित फोटोप्रतियों सहित।	बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सूचना धारित नहीं है।
4.	उत्तराखण्ड में जांच कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण।	सूचना धारित नहीं है।
5.	बिन्दु संख्या 05 आपके द्वारा पत्र में अंकित नहीं है।	-
6.	उत्तराखण्ड में सील कराये गये मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण।	सूचना धारित नहीं है।
7.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों को उन मदरसों की जिलावार संख्या का विवरण, जिन्हें सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खुलवा दिया गया है।	सूचना धारित नहीं है।
8.	उत्तराखण्ड में अपंजीकृत/अवैध मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, सम्बन्धित वैबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।	सूचना धारित नहीं है।
9.	उत्तराखण्ड में सील किये गये मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, सम्बन्धित वैबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा वैबसाइट पर केवल मान्यता प्राप्त मदरसों की सूचना उपलब्ध करायी जाती है। सूचना धारित नहीं है।
10.	उत्तराखण्ड में सील किये गये उन मदरसों की अद्यतन सूची वैबसाइट पर उपलब्ध होने का विवरण, जिन्हें	सूचना धारित नहीं है।

कुमरा

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, द्वितीय ब्लॉक, राहीद भगत सिंह कालोनी, अचौईवाला, देहरादून। 0135-2975456

Email-ukmadarsaboard@gmail.com, website-www.ukmadarsaboard.org.in



सूचना का
अधिकार

सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक खूलवा दिया गया है, सम्बन्धित वेबसाइट के पूर्ण लिंक के विवरण सहित।

अतः उक्त सूचना 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 7(1) के अन्तर्गत सूचना का निपटारा किया जाता है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम व पता निम्नवत् है, मैं अपील दायर कर सकते हैं।

नाम- राजेन्द्र कुमार,
पदनाम- निदेशक/प्रथम अपीलीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
पता-उपरोक्त।

भवदीय


(मोहम्मद आबिदुल्लाह अन्सारी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, द्वितीय ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, अण्डाईवाला, देहरादून। 0135-2975458

Email-ukmadarsaboard@gmail.com, website-www.ukmadarsaboard.org.in



सूचना का
अधिकार

पत्रांक 01
सेवा में,

/उ.म.शि.प./सू.का.अ.अधि./श्री नदीम उद्दीन/2024-25

दिनांक 01 अप्रैल, 2025

श्री नदीम उद्दीन, (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता)
पता- कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर,
ऊधमसिंहनगर पिन-244713

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
कृपया उपर्युक्त विषयक सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आपके सूचना अनुरोध पत्रांक: 1712/सू.अ./2025 दिनांक 21.03.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त हुआ, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा 3.1 से 3.10 तक अर्थात् कुल 10 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसकी सूचना आपको निम्नवत् रूप में उपलब्ध करायी जा रही है:-

- बिन्दु संख्या: 01- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है।
बिन्दु संख्या: 02- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता सूची। (छायाप्रति संलग्न)
बिन्दु संख्या: 03- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है।
बिन्दु संख्या: 04- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में प्राप्त मान्यता हेतु लम्बित मदरसों की सूची। (प्रति संलग्न)
बिन्दु संख्या: 05- बिन्दु संख्या 01 में निहित है।
बिन्दु संख्या: 06- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा आयोजित अरबी फारसी परीक्षा मुंशी/मौलवी एवं आलिम-अरबी व फारसी परीक्षा की मान्यता उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून में है परन्तु अन्य शिक्षा बोर्ड की समकक्षा नहीं है। अरबी फारसी परीक्षा मुंशी/मौलवी एवं आलिम-अरबी व फारसी को शिक्षा विभाग की क्रमशः हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शासन स्तर पर गतिमान है।
बिन्दु संख्या: 07- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है।
बिन्दु संख्या: 08- उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019 (छायाप्रति संलग्न)।
बिन्दु संख्या: 09- उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता की सूची उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् की वेबसाईट website-www.ukmadarsaboard.org.in पर भी उपलब्ध है।
बिन्दु संख्या: 10- बिन्दु संख्या 09 में निहित है।

अतः उक्त सूचना 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 7(1) के अन्तर्गत सूचना का निपटारा किया जाता है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम व पता निम्नवत् है, में अपील दायर कर सकते हैं।

नाम- राजेन्द्र कुमार,
पदनाम- निदेशक/प्रथम अपीलीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।
पता-उपरोक्त।

भवदीय
(मोहम्मद आबेदुल्लाह अन्सारी)
लोक सूचना अधिकारी/
उप रजिस्ट्रार

**उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा तहतानिया, फौकानिया, मुंशी-मौलवी एवं आलिम
अरबी-फारसी की मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण**

क्र.सं.	जनपद का नाम	तहतानिया (कक्षा 01 से 05 तक)	फौकानिया (कक्षा 06 से 08 तक)	मुंशी/मौलवी (कक्षा 09 से 10 तक)	आलिम अरबी-फारसी (कक्षा 11 से 12 तक)	योग
1	देहरादून	27	13	-	1	41
2	नैनीताल	12	5	-	1	18
3	अल्मोड़ा	1	-	-	-	1
4	पिथौरागढ़	1	-	-	-	1
5	हरिद्वार	142	104	22	2	270
6	ऊधमसिंहनगर	48	43	24	4	119
7	चम्पावत	2	-	-	-	2
	योग	233	165	46	8	452

Dr. Arun

[Signature]

उपरीजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्
देहरादून